

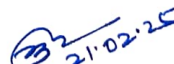
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 40 / सन—2024— 25

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.02.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०— 40 / 2024— 25 आवेदक खलील मियाँ, पिता— महीम मियाँ, साकिन— चुंजखो, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— चुंजखो, थाना नं०— 256 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— IV, पृष्ठ सं०— 121 पर टोलाव पंडित पिता लाटु पंडित एवं अमरली मियाँ पिता बिहारी मियाँ के नाम से एक ही पृष्ठ पर दोहरी जमाबंदी दर्ज है। उसमें अमरली मियाँ, पिता— बिहारी मियाँ का नाम एवं जमाबंदी सही है। ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— IV, पृष्ठ सं०— 121 से टोलाव पंडित, पिता— लाटु पंडित का नाम, खाता सं०— 03, रकवा— 12 डी० भूमि को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा— चुंजखो / 256 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— IV पृष्ठ सं०— 121 में कायम ऑनलाईन जमाबंदी में से टोलाव पंडित पिता लाटु पंडित का नाम, खाता सं०— 03, रकवा— 12 डी० विलोपित करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत में मौजा— चुंजखो / 256 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— IV पृष्ठ सं०— 121 में कायम ऑनलाईन जमाबंदी में से टोलाव पंडित पिता लाटु पंडित का नाम, खाता सं०— 03, रकवा— 12 डी० विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 05 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	